संख्या-2299/15(3)/92-4171/92

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सेक्रेटरी,
सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन,
2/17 कृष्ण विहार, अंसारी रोड,
दरियागंज, नई दिल्ली।

शिक्षा (15) अनुभाग   लखनऊ: दिनांक: 29 अगस्त, 1992

विषय:- इन्द्रदीप पब्लिक स्कूल, शान्तिनगर, स्टेशन रोड, शिकोहाबाद फिरोजाबाद को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन्द्रदीप पब्लिक स्कूल, शान्तिनगर, स्टेशन रोड, शिकोहाबाद, से फिरोजाबाद को सेन्ट्रल बोर्ड आफ एजूकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

1- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान मुफ्तशिक्षा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उन से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

5- संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की राजकीय

....2:

Scanned with CamScanner

सहायता प्राप्त विद्यालय संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उसका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9- अन्य शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमति के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन तथा परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था में कोई भी अतिरिक्त विवाद न रहे तथा प्रतिबन्ध [illegible] यह योजना भी लागू की जाय । इन शर्तों प्रतिबन्धों की पूर्ति करके संस्था द्वारा शासन को एक माह के भीतर अवगत कराया जायेगा ।

3- विद्यालय में [illegible] के रूप में पूर्व से ली जा रही धनराशि अब नहीं ली जायेगी ।

4- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(अशोक पाण्डे)
उप सचिव ।

संख्या-3229(1)/15(3)/92 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उ0प्र0, शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ ।
2- क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, आगरा ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, फिरोजाबाद ।
4- निदेशक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ ।

[illegible] 3:

Principal
Gyan Deep Sr. Sec. Public School
Shanti Nagar, Station Road
SHIKOHABAD (U.P.)

Manager
Gyan Deep Public School
Shanti Nagar, Station Road
SHIKOHABAD (U.P.)

Scanned with CamScanner